-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना चिल्ला पुलिस द्वारा बसों-ट्रेनों में सवारी बनकर चोरी करने बाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। गिरोह के 05 अन्तर्जनपदीय चोरों को चिल्ला पुलिस द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस सहित चोरी का माल बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा बसों-ट्रेनों में सवारी बनकर विशेषकर महिला यात्रियों को बनाते थे निशाना।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा **बसों-ट्रेनों में सवारी बनकर चोरी करने गिरोह** का पर्दाफाश करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि जनपद चित्रकूट के थाना सरधुआ क्षेत्र के रहने वाले जितेन्द्र पुत्र विष्णुदत्त ने दिनांक 20.08.2025 को थाना चिल्ला पर सूचना दी कि बांदा से दोहतरा जाते समय बस में अज्ञात लोगें द्वारा उसके बैग से सोने आभूषण आदि चोरी कर लिए है। जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 02/03.09.2025 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना चिल्ला पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि सुहरपुर मोड रोड पर बस से पांच व्यक्ति उतरे हैं जिनमें तीन पिठ्ठू बैग लिए है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस से खुदको घिरता देख उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने कि नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिसमें पुलिस टीम बाल-बाल बची। पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए 05 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 24.760 ग्राम बटननुमा पीली धातु व 203.770 ग्राम गोल चपटीनुमा सफेद धातु सहित 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया की दिनांक 13.08.2025 को बांदा से चिल्ला की ओर जाने वाली बस में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जिसके संबंध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत है। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि हुआ कि गिरोह के सदस्य सामान्य सवारियों की तरह बसों और ट्रेनों में सफर करते थे। सफर के दौरान ये शातिर अपराधी महिला यात्रियों को चिन्हित कर उनके बैग व अन्य सामान पर नजर रखते थे। मौका पाते ही वे नगदी, जेवरात व कीमती सामान चोरी कर लेते और अगले स्टॉप पर उतरकर फरार हो जाते थे। चोरी किए गए सामान को यह गिरोह आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का संकलन किया जा रहा है तथा इसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

- 24.760 ग्राम पीली धातु
- 203.770 ग्राम सफेद धातु
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवकुमार पुत्र मोहनलाल निवासी जैतापुर थाना औरइया जनपद औरइया।
2. धर्मेंद्र कुमार जाटव पुत्र बिहारीलाल निवासी नगला बीरबल थाना बड़पुरा जनपद इटावा।
3. अमर सिंह पुत्र दीपचन्द्र निवासी रनिया खजीरी थाना चकर नगर जनपद इटावा।
4. मुन्ना वर्मा पुत्र दुर्जन वर्मा निवासी डबरा थाना कोतवाली देहात जनपद ग्वालियर।
5. दीनदयाल कोरी पुत्र कोदे कोरी निवासी गोपालगंज थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी।

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0स0 106/25 धारा 305/317(2)(4) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
- समायोजित धारा 109/190/191(2)/191(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवकुमार -

1. मु0अ0सं0 1010/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
2. मु0अ0सं0 192/21 धारा 34/379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैंट जनपद आगरा।
3. मु0अ0सं0 205/21 धारा 34/379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैंट जनपद आगरा।
4. मु0अ0सं0 35/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना राठ जनपद हमीरपुर।
5. मु0अ0सं0 1014/16 धारा 379/411/413 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
6. मु0अ0सं0 1292/18 धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
7. मु0अ0सं0 1337/18 धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
8. मु0अ0सं0 1369/18 धारा धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
9. मु0अ0सं0 1420/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 177 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमर सिंह -

1. मु0अ0सं0 61/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चकरनगर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 72/05 धारा 411 भादवि थाना उन्चाहार जनपद रायबरेली।
3. मु0अ0सं0 73/05 धारा 307 भादवि थाना उन्चाहार जनपद रायबरेली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुन्ना वर्मा -

1. मु0अ0सं0 968/18 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
2. मु0अ0सं0 974/18 धारा 356/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
3. मु0अ0सं0 1292/18 धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
4. मु0अ0सं0 1337/18 धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
5. मु0अ0सं0 1369/18 धारा धारा 177/380/411 भादवि थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
6. मु0अ0सं0 1418/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
7. मु0अ0सं0 808/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी।
8. मु0अ0सं0 102/05 धारा 307/411 भादवि थाना नवाबाद जनपद झांसी।
9. मु0अ0सं0 104/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबाद झांसी जनपद झांसी।
10. मु0अ0सं0 103/05 धारा 18/20 NDPS एक्ट थाना नवाबाद जनपद झांसी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीनदयाल कोरी -

1. मु0अ0सं0 94/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी।
2. मु0अ0सं0 65/20 धारा 323/325/504 भादवि थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी।
3. मु0अ0सं0 205/21 धारा 34/379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैंट जनपद आगरा।
4. मु0अ0सं0 192/21 धारा 34/379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैंट जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना चिल्ला श्री संदीप तिवारी
2. उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह
3. उ0नि0 श्री रामू यादव
4. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह
5. हे0कां0 कलाम अब्बासी
6. कां0 शनिकुमार वर्मा
7. कां0 नागेन्द्र सिंह
8. कां0 अनूप कुमार